न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 530 / 2019

1. रघूवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. रामकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. सुरेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. विनोद पुत्र रघूवीर जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. रणवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. सोना पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. विमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. कलावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. मु0 बागो देवी पत्नि बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. फरसराम पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. बिहारी लाल पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
8. अर्जन राम पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
9. खेताराम पुत्र श्योकरन निवासी खैरपूर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
10. बलविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
11. हरविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
12. कमलजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
13. जसपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
14. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण
1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता — वादीगण
2. राजपैरोकार स्टेट — प्रतिवादी संख्या 14

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 13.12.19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अमरा पुत्र बेगा जाति राठ निवासी बनवाला के नाम से 5 बीघा कृषि भूमि थी। अमरा पुत्र बेगा जाति राठ निवासी बनवाला के कब्जा काश्त में चक न0 12 बी एन डब्लयू तहसील सादुलशहर की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर, किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर कृषि भूमि थी। अमरा पुत्र बेगा ने उक्त कृषि भूमि का बेचान जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 04.08.1959 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके मनीराम व सुरजाराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान को कर दिया। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मनीराम व सुरजा राम के नाम से एवं अन्य खातेदारो के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गयी रकबा पूर्व में खसरो में दर्ज था। जो बाद में किला बंदी व मुरब्बा बंदी के समय रकबा चक न0 6 बी जी एस, 8 बी जी एस व 12 बी एन डब्लयू पर पैमूद हुआ। मनीराम की मृत्यु हो चुकी है। मनीराम के विधिक वारिस वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। सुरजा राम ने उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपने पौत्रो विनोद पुत्र रघुवीर व रणवीर पुत्र रामकुमार, सुरेन्द्र पुत्र मनीराम के हक में दिनांक 05.06.2012 को निष्पादित करवा दी। सुरजा राम की वसीयत व सुरजा राम का मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न वादपत्र है। बुधराम व खेताराम पिसरान श्योकरन ने 12 बीघा कृषि भूमि व बलविन्द्र, हरविन्द्र, कमलजीत, जसपाल सिंह ने अपनी 80 बीघा कृषि भूमि का खाता अलग से कायम करवा लिया। जिनका वादगत भूमि में कोई हक व हित नही है। लेकिन चक न0 12 बी एन डब्लयू में प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के पति/पिता बुधराम प्रतिवादी संख्या 9 खेताराम व प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 एवं मनीराम व बिमला का नाम गलत तौर से अंकन है। उनका नाम कलमजन नही होने से वादीगण के हितो पर विपरित असर पड रहा है। चक न0 12 बी एन डब्लयू की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर व किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर कृषि भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 3 ने के पिता मनीराम व सुरजा राम की सन् 1959 से कब्जा काश्त चली आ रही है। मनीराम व सुरजा राम की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर शान्ति पूर्वक तरीके से काबिज चले आ रहे है। चक न0 12 बी एन डब्लयू तहसील सादुलशहर की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर व किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर रकबा का मनीराम व सुरजा राम ने अच्छी मंदी के हिसाब से बंटवारा कर लिया था। जिसमें मनीराम के हक व हिस्से में 0.683 हैक्टर व सुरजाराम के हक व हिस्से में 0.544 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई। चक न0 12 बी एन डब्लयू में वादीगण संख्या 1 ता 3 का अपने पिता मनीराम के हक व हिस्से एवं कब्जा काश्त की 0.683 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। सुरजाराम की वसीयत के मुताबिक 0.544 हैक्टर रकबा पर वादी संख्या 3 ता 5 बहिस्सा बराबर के हकदार है। वादीगण यह घोषणा पाने के अधिकारी है कि चक न0 12 बी एन डब्लयू की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर रकबा में वादी संख्या 1 ता 3 की 0.683 हैक्टर व वादी संख्या 3 ता 5, 0.544 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अपना कभी हक नही जताया। उन्होने अपना हक वादी संख्या 1 ता 3 के हक मे छोड दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 13 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होने पर वे वादीगण की कब्जा काश्त में दखलन्दाजी कर सकते है, रकबे को रहन, बैय व हस्तान्तरण कर सकते है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करें। प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 का खाता अलग हो चुका है। वादीगण ने आज से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण को कहा कि आपने तो अपने रकबे का खाता अलग से कायम करवा लिया है। आपने चक न0 12 बी एन डब्लयू की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर रकबा में अपना नाम कलमजन करवाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा दो लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखास्मत दावा है।

वादपत्र वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर डिक्री किया जावे। चक न0 12 बी एन डब्लयू तहसील सादुलशहर की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर व किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर कृषि भूमि में 0.683 हैक्टर कृषि भूमि के वादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के व 0.544 हैक्टर कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

में वादी संख्या 3 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व बुधराम, खेताराम, बलवीर सिंह, हरविन्द्र सिंह, कमलजीत सिंह, जसपाल सिंह, मनीराम, बिमला का नाम कलमजन किया जावे। चक न0 12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर व किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने रहन, बैय एवं हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए अखबार में प्रकाशित समन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थिति नही आया। उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 14 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा। वादीगण ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की। साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य में रजिस्टर्ड बैयनामा, वसीयत, जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज प्रदर्शित करवाये व साक्ष्य समाप्त की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण के पिता एवं दादा ने अमरा पुत्र बेगा जाति राठ निवासी बनवाला से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा पांच बीघा कृषि भूमि दिनांक 04.08.1959 को खरीद की थी। जिसका नामान्तरण मनीराम व सुरजाराम के नाम से दर्ज हो गया खरीदशुदा रकबा पूर्व में खसरो में था जो चकबंदी के दौरान चक 6 बी जी एस, 8 बी जी एस एवं 12 बी एन डब्ल्यू में पैमूद हुआ। सुरजाराम ने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि की वसीयत अपने पौत्रो विनोद, रणवीर व सुरेन्द्र कुमार के हक में करवा दी थी। सुरजाराम की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण की जिस भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में बुधराम, खेताराम, बलविन्द्र सिंह, हरविन्द्र सिंह, कमलजीत सिंह, जसपाल सिंह, मनीराम व बिमला का नाम बोल रहा है। जबकि उनका कोई हक व हित नही है। बुधराम वगैरा ने अपनी कृषि भूमि का बेचान कर दिया है। बलविन्द्र वगैरा ने अपना खाता अलग से कायम करवा लिया है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है चक न0 12 बी एन डब्ल्यू की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर रकबा में वादीगण रघुवीर, रामकुमार, सुरेन्द्र पिसरान मनीराम 0.683 हैक्टर रकबे के व सुरेन्द्र पुत्र मनीराम, विनोद पुत्र रघुवीर, रणवीर पुत्र रामकुमार 0.544 हैक्टर रकबा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तनुसार दर्ज किया जाकर बुधराम–खेताराम पिसरान श्योकरन, बलवीर सिंह, हरविन्द्र सिह, कमलजीत सिंह, जसपाल सिंह, मनीराम, बिमला का नाम कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 12 19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 530 / 2019

1. रघूवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. रामकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. सुरेन्द पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. विनोद पुत्र रघूवीर जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. रणवीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. सोना पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. विमला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. कलावती पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
4. सन्तोष पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. मु0 बागो देवी पत्नि बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. फरसराम पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. बिहारी लाल पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
8. अर्जन राम पुत्र बुधराम जाति कुम्हार निवासी 10–12 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
9. खेताराम पुत्र श्योकरन निवासी खैरपूर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
10. बलविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
11. हरविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
12. कमलजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
13. जसपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 3 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
14. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
188 आरटीए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 14 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 12 बी एन डब्ल्यू की मु0न0 5 किला न0 7 की 0.215 हैक्टर किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर कुल 1.227 हैक्टर रकबा में वादीगण रघुवीर, रामकुमार, सुरेन्द्र पिसरान मनीराम 0.683 हैक्टर रकबे के व सुरेन्द्र पुत्र मनीराम, विनोद पुत्र रघुवीर, रणवीर पुत्र रामकुमार 0.544 हैक्टर रकबा के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तनुसार दर्ज किया जाकर बुधराम–खेताराम पिसरान श्योकरन, बलवीर सिंह, हरविन्द्र सिह, कमलजीत सिंह, जसपाल सिंह, मनीराम, बिमला का नाम कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 13.12.19 को जारी की गई।

13.12.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.03 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: